चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः- सम्बद्धता/40
दिनांकः- 21.06.2004

सचिव,
आई0पी0(पी0जी0) कालेज,
बुलन्दशहर।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 3909//जी.एस. दिनांक 02 जून, 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन आई0पी0(पी0जी0) कालेज, बुलन्दशहर को स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस-सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठयक्रम में तीस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार एम0एस-सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठयक्रम में तीस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगें, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः- सम्बद्धता/794
दिनांकः- 20.09.2006

सचिव,
आई0 पी0 (पी0जी0) कालेज,
बुलन्दशहर

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./1194/जी.एस. दिनांक 21.08.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन ***आई0 पी0 कालेज, बुलन्दशहर*** को स्नातकोत्तर स्तर पर ***एम0एस-सी0 (बायाटैक्नोलॉजी)*** पाठयक्रम में 30 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2006 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02.07.2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्थान को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार ***आई0 पी0 कालेज, बुलन्दशहर*** को स्नातकोत्तर स्तर पर ***एम0एस-सी0 (बायाटैक्नोलॉजी)*** पाठ्यक्रम में 30 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव 20/9/06

प्रतिलिपिः-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 679

दिनांक : 28/5/2010

सेवा में,

प्राचार्य,

आई0पी0 (पी0जी0) कालेज,

बुलन्दशहर

विषय :— **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में एक–एक अतिरिक्त सैक्शन की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रस्ताव जोकि **आई0पी0 (पी0जी0) कालेज, बुलन्दशहर** के **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में सत्र 2010–2011 से एक–एक अतिरिक्त सैक्शन** की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर **बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में एक–एक अतिरिक्त सैक्शन में सत्र 2010–2011 से सम्बद्धता की स्वीकृति** इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2010–2011 से करेंगे एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे अन्यथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में शासन को अवगत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस अनुमति उपरान्त महाविद्यालय के पास बी0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में कुल 120 सीटों एवं एम0एस–सी0 (बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम में कुल 60 सीटों की प्रवेश क्षमता होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौ0 चरण सिह विश्वविद्यालय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक के अनुमोदनार्थ।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव